रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26112022-240594
CG-DL-W-26112022-240594

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2022 (अग्रहायण 5, 1944)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2022 (AGRAHAYANA 5, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2022

सं. एनसीडीसी:1-1/2004-प्रशा.—एनसीडीसी के प्रबंध मंडल ने दिनांक 30 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में एनसीडीसी सेवा विनियमों में निम्नानुसार संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की :—

<table>
<tr><th>वर्तमान नियम</th><th>संशोधित नियम</th></tr>
<tr>
<td>विनियम 39(1) : <u>दंड लगाने हेतु प्राधिकारी :</u>
कर्मचारियों के संबंध में छोटा या कठोर दंड लगाने हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे::
<table>
<tr><td>कर्मचारी समूह</td><td>छोटा दंड लगाने के लिए प्राधिकारी</td><td>कठोर दंड लगाने हेतु प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>समूह क</td><td>प्रबंध निदेशक</td><td>नियुक्ति प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>समूह ख</td><td>प्रबंध निदेशक</td><td>नियुक्ति प्राधिकारी</td></tr>
</table>
</td>
<td>विनियम 39(1) : <u>दंड लगाने हेतु प्राधिकारी :</u>
कर्मचारियों के संबंध में छोटा/कठोर दंड लगाने हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे::
<table>
<tr><td>कर्मचारी समूह</td><td>छोटा दंड लगाने के लिए प्राधिकारी</td><td>कठोर दंड लगाने हेतु प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>समूह क</td><td rowspan="2">i) प्रबंध निदेशक</td><td rowspan="2">नियुक्ति प्राधिकारी</td></tr>
<tr><td>समूह ख</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

समूह ग / (i) उप प्रबंध निदेशक (ii) अपने अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय निदेशक / नियुक्ति प्राधिकारी	समूह ग / ii) उप प्रबंध निदेशक/वित्तीय सलाहकार/कार्यकारी निदेशक/ मुख्य निदेशक/ निदेशक/ अपने अंतर्गत कार्यरत सभी 'क', 'ख' तथा 'ग' समूह के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय निदेशक
विनियम 41(2) : <u>कठोर दंड लगाने की प्रक्रिया :</u> नियुक्ति प्राधिकारी उन अभिकथनों के आधार पर निश्चित आरोप तय करेगा जिन पर जांच की जानी प्रस्तावित है। इस तरह के आरोपों के साथ-साथ उन अभिकथनों का विवरण, जिन पर वे आधारित हैं, कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगें और उसे अपने बचाव में एक लिखित बयान जिसमें यह स्पष्ट हो कि वह मामले की सुनवाई व्यक्तिगत रुप से चाहता है निर्दिष्ट किए जा सकने वाले समय के भीतर जांच अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।	विनियम 41(2) : <u>कठोर दंड लगाने की प्रक्रिया :</u> संबंधित प्रभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय निदेशक, उन अभिकथनों के आधार पर आरोप प्रारूप तैयार करेंगे, जिस पर जांच की जानी प्रस्तावित है और अनुमोदन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस तरह के आरोपों के साथ-साथ उन अभिकथनों का विवरण, जिन पर वे आधारित हैं, कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगें और उसे अपने बचाव में एक लिखित बयान जिसमें यह स्पष्ट हो कि वह मामले की सुनवाई व्यक्तिगत रुप से चाहता है निर्दिष्ट किए जा सकने वाले समय के भीतर जांच अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।
विनियम 46(1)(III & IV) :<u>अपील :</u> (iii) प्रबंध निदेशक को जहां आदेश महाप्रबंधक द्वारा पारित किया गया हो। (iv) महाप्रबंधक को जहां आदेश उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा आदेश पारित किया गया हो।	विनियम 46(1)(III & IV) :<u>अपील :</u> कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को अपील करने का हकदार होगा जहां आदेश उप प्रबंध निदेशक/वित्तीय सलाहकार/कार्यकारी निदेशक/मुख्य निदेशक/ निदेशक/ क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पारित किया गया हो।

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 30 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे।

पंकज कुमार बंसल
प्रबंध निदेशक

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 13th September 2022

No. NCDC:1-1/2004-Admn.—The Board of Management of NCDC in its 219th meeting held on 30th August, 2022 has approved amendments in the NCDC Service Regulations as under :—

<table>
<tr><th>Existing Rule</th><th>Amended Rule</th></tr>
<tr>
<td>
Regulation 39(1) : <u>Authorities for Imposing Penalties :</u>
The disciplinary authorities for imposing minor or major penalties in relation to the employees shall be as under:
<table>
<tr><td>Group of Employees</td><td>Authority for imposing minor penalties</td><td>Authority for imposing major penalties</td></tr>
<tr><td>Group A</td><td>Managing Director</td><td>Appointing Authority</td></tr>
<tr><td>Group B</td><td>Managing Director</td><td>Appointing Authority</td></tr>
<tr><td>Group C</td><td>(i) Deputy Managing Director
(ii) Regional Director concerned in respect of employees working under his control</td><td>Appointing Authority</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Regulation 39(1) : <u>Authorities for Imposing Penalties :</u>
The disciplinary authorities for Imposing Minor / Major Penalties in relation to the employees shall be as under :-
<table>
<tr><td>Group of Employees</td><td>Disciplinary Authority for imposing minor penalties</td><td>Disciplinary Authority for imposing major penalties</td></tr>
<tr><td>Group A</td><td rowspan="3">i) Managing Director
ii) DMD/FA/ED/CD/ Director/Regional Director in respect of all Group “A”, “B” & “C” employees working under their control.</td><td rowspan="3">Appointing Authority</td></tr>
<tr><td>Group B</td></tr>
<tr><td>Group C</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Regulation 41(2) : <u>Procedure for Imposing Major Penalties :</u>
The appointing authority shall frame definite charges on the basis of the allegations on which the inquiry is proposed to be held. Such charges together with a statement of the allegations on which they are based shall be communicated in writing to the employee and he shall be called upon to submit within such time as may be specified to the enquiry officer a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.
</td>
<td>
Regulation 41(2) : <u>Procedure for Imposing Major Penalties :</u>
The concerned Divisional Head/Regional Director, shall frame the draft charges on the basis of the allegations on which the inquiry is proposed to be held and put up the same to the disciplinary authority for approval. Such charges together with a statement of the allegations on which they are based shall be communicated in writing to the employee and he shall be called upon to submit within such time as may be specified to the enquiry officer a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Regulation 46(1)(III & IV) :<u>Appeals :</u>
(iii) To the Managing Director where the order was one passed by the General Manager.
(iv) To the General Manager where the order was one passed by the Dy. Director (Admn).
</td>
<td>
Regulation 46(1)(III & IV) :<u>Appeals :</u>
An employee shall be entitled to prefer an appeal to the appointing authority, where the order is passed by DMD/FA/ED/CD/Director/Regional Director.
</td>
</tr>
</table>

The above amendments shall be effective from 30.08.2022.

PANKAJ KUMAR BANSAL
Managing Director

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.11.26 10:15:13 +05'30'